भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3512
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी

3512. श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री नवसकनी के.:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभकारी रोजगार प्राप्त प्रशिक्षुओं का प्रतिशत कितना है;
(ख) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें अधिकांश लाभार्थी नियोजित हैं;
(ग) लाभार्थियों के लिए दीर्घकालिक रोजगार स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या डीडीयू-जीकेवाई में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग लोगों को सहायता देने के लिए विशेष प्रावधान है;
(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत प्रशिक्षित और नियोजित इन श्रेणियों के लाभार्थियों की संख्या कितनी है और कार्यक्रम में समावेशिता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(च) क्या डीडीयू-जीकेवाई ने ग्रामीण बेरोजगारी को महत्वपूर्ण ढंग से कम करने में योगदान किया है;
(छ) ग्रामीण आजीविका पर योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए किसी अध्ययन का क्या निष्कर्ष रहा है; और
(ज) योजना के कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत 65% अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात लाभप्रद रोजगार में नियोजित किया गया है। वित्त वर्ष 2014-15 से कुल 16,90,046 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और नवंबर, 2024 तक 10,97,265 अभ्यर्थियों को रोजगार में नियोजित किया गया है।

(ख): डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत उस क्षेत्र में रोजगार में नियोजित करना अनिवार्य नहीं है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि, शीर्ष 15 क्षेत्र जिनके तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया था उनका ब्यौरा रोजगार में नियोजन के साथ नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	सेक्टर	प्रशिक्षित	रोजगार में नियोजित
1	वस्त्र	370844	180581
2	आईटी-आईटीईएस	241218	141542
3	परिधान निर्माण और होम फर्निशिंग	207024	132805
4	खुदरा	225241	124957
5	पर्यटन और आतिथ्य	145122	83265
6	स्वास्थ्य सेवा	114303	62966
7	इलेक्ट्रॉनिक्स	91984	51599
8	लॉजिस्टिक्स	72698	45698
9	निर्माण	64248	34202
10	दूरसंचार	54514	30804
11	बीएफएसआई	44425	21398
12	ऑटोमोटिव	37068	19909
13	प्रबंधन, उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल	35690	18802
14	पूंजीगत सामान	18351	9956
15	सौंदर्य और कल्याण	11397	6553

(ग): डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देश में अभ्यर्थियों को विभिन्न वित्तीय लाभ जैसे प्रशिक्षण लागत और मूल्यांकन लागत, रोजगार में नियोजन पश्चात सहायता, प्रतिधारण सहायता, कैरियर प्रगति सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा, पूर्व-छात्र (एलुमनाई) सहायता और प्रवासन सहायता केंद्र भी दीर्घकालिक रोजगार स्थिरता की सुविधा प्रदान करते हैं। डीडीयू-जीकेवाई के तहत उम्मीदवारों को प्रदान किए जा रहे विभिन्न सहायता प्रावधान **अनुबंध -1** में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ): जी हां, डीडीयू-जीकेवाई के दिशानिर्देशों में निधियों का 50% अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित करने का प्रावधान है। डीडीयू-जीकेवाई के तहत, 15% अल्पसंख्यकों, 5% पीडब्ल्यूडी और 33% महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। **डीडीयूजीकेवाई के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रशिक्षित और रोजगार में नियोजित की गई महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी के लाभार्थियों की संख्या**

वित्त वर्ष	महिलाएं		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पीडब्ल्यूडी	
	प्रशिक्षित	रोजगार में लगाई गई	प्रशिक्षित	रोजगार में लगाए गए	प्रशिक्षित	रोजगार में लगाए गए	प्रशिक्षित	रोजगार में लगाए गए
2021-22	58443	26040	35917	16092	20049	9414	352	142
2022-23	133124	91726	78112	52161	42811	30524	1260	507
2023-24	121927	93361	72131	56085	31940	25090	1102	641

2024-25 नवंबर, 24 तक	39256	29209	20984	16671	12276	8539	442	246
कुल	**352750**	**240336**	**207144**	**141009**	**107076**	**73567**	**3156**	**1536**

(च): जी हां, वित्त वर्ष 2014-15 से नवंबर, 2024 तक डीडीयू-जीकेवाई के तहत 10,97,265 अभ्यर्थियों को रोजगार में लगाया गया है।

(छ): प्रभाव अध्ययन शुरू कर दिया गया है और यह जारी है।

(ज) कार्यान्वयन के अनुभवों और हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के लिए योजना दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत निम्नलिखित उपाय शामिल किए गए हैं

- रोजगार में लगाए जाने की अवधि में न्यूनतम 3 महीने से 6 महीने तक की वृद्धि।
- प्रशिक्षण बैचों के आधार पर परियोजनाओं का वित्तपोषण।
- प्रशिक्षण के बाद 12 महीने के लिए रोजगार में लगाए गए प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का कौशल विकास और पुन: प्रशिक्षण।
- अभिनव परियोजनाओं के लिए अलग से 5% राशि
- कौशल ऋण का प्रावधान – उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एजेंसियों को पैनल में शामिल करना।
- प्रशिक्षण और रोजगार में लगाने के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में काम करने हेतु स्व-सहायता समूहों और उनके फेडरेशन प्रशिक्षुओं हेतु प्रावधान करना।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3512 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

डीडीयू-जीकेवाई के तहत अभ्यर्थियों को प्रदान की जा रही सहायता के प्रावधानों का ब्यौरा:

क्र. सं.	मद	3 माह (576 घंटे)	6 माह (1152 घंटे)	9 माह (1728 घंटे)	12 माह (2304 घंटे)
आवासीय/गैर आवासीय पाठ्यक्रमों की सामान्य लागत					
1			प्रति अभ्यर्थी कुल प्रशिक्षण लागत		
क	श्रेणी I @ 49.00 रुपए प्रति घंटा	28,224.00	56,448.00	84,672.00	112,896.00
ख	श्रेणी II @ 42.00 रुपए प्रति घंटा	24,192.00	48,384.00	72,576.00	96,768.00
ग	श्रेणी III @ 35.10 रुपए प्रति घंटा	20,217.60	40,435.20	60,652.80	80,870.40
2			विशेष क्षेत्र भत्ता @ क्रम संख्या 1 का अतिरिक्त 10%, यदि प्रशिक्षण केंद्र विशेष क्षेत्रों में स्थित है।		
विशेष क्षेत्रों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:					
(i) उत्तर-पूर्वी राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा,					
(ii) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड					
(iii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह					
(iv) एकीकृत कार्य योजना हेतु गृह मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिले					
क	श्रेणी I @ 49.00 रुपए प्रति घंटा	2,822.40	5,644.80	8,467.20	11,289.60
ख	श्रेणी II @ 42.00 रुपए प्रति घंटा	2,419.20	4,838.40	7,257.60	9,676.80
ग	श्रेणी III @ 35.10 रुपए प्रति घंटा	2,021.76	4,043.52	6,065.28	8,087.04
3	वर्दी (6 माह से कम या उसके बराबर अवधि के प्रशिक्षण के लिए 1 सेट और उससे अधिक माह के लिए 2 सेट)	1,270	1,270	2,540	2,540
4			रोजगार में लगाए जाने के पश्चात सहायता (पीआईए के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रदान की गई)		
क	मूल निवासी जिले के भीतर (2 माह के लिए 1270 रुपये प्रति माह)	2,540	2,540	2,540	2,540
ख	मूल निवासी जिले के भीतर (3 माह के लिए 1270 रुपये प्रति माह)	3,810	3,810	3,810	3,810
ग	मूल निवासी से बाहर (6 माह के लिए 1270	7,620	7,620	7,620	7,620

	रुपये प्रति माह)				
5			आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए आवास और भोजन लागत		
क	एक्स श्रेणी के शहर @ रु. 375 प्रति दिन	33,750	67,500	101,250	135,000
ख	वाई श्रेणी के शहर @ रु. 315 प्रति दिन	28,350	56,700	85,050	113,400
ग	जेड श्रेणी के शहर @ रु. 250 प्रति दिन	22,500	45,000	67,500	90,000
घ	अन्य स्थान (सभी ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं) @ रु.220 प्रति दिन	19,800	39,600	59,400	79,200
6	गैर आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए प्रति अभ्यर्थी भोजन और परिवहन लागत	11,700	23,400	35,100	46,800
7	एक बार की यात्रा लागत अधिकतम रु. 4500 प्रति अभ्यर्थी या वास्तविक के अनुसार, जो भी कम हो।	4,500	4,500	4,500	4,500